	पंजीफरण केन्द्र में अपना पंजीकाण करवाएं। केन्द्र में अपना पंजीकाण करवाएं। केन्द्र में अपना पंजीकाण करवाएं। केन्द्र में अपना पंजीकाण करवाएं। केन्द्र में अपना पंजीकाण करवाएं। के प्रसंग्रेट भारत सरकार की स्थात है। इस पासग्रेट के बारे में किसी पासग्रेट आधिकाती से इसके बारक को वाद कोई सूचना मिलती है किसमें पासग्रेट लीटाने की भाग भी शाधिकाते तो उसका गुरंत अनुपालन किया जाएं। इसमें किसी पासग्रेट कारक या उसके द्वारा प्राध्यान क्यानिकारी को अपना बाहिए। इसमें किसी भी अकार का फेरबदल या विकृति वहाँ की जानी चाहिए। पासप्रोट गुम हो जाने, भोरी हो जाने अवका नस्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में सबसे निकटनम पासग्रेट और क्यानिकारी को अव्याव नस्ट हो जाने पर उसकी सूचना भारत में स्वयंत्र निकटनम पासग्रेट और क्यानिकारी को अवेग नस्ट की जाने पर उसकी सूचना भारत में स्वयंत्र निकटनम पासग्रेट आर क्यानिकार हो जाना । REGISTRATION INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGISTER THEMSELIVES AT THE NELPEST INDIAN MISSIONFOST. CAUTION PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA ANY COMMUNICATION RECEIVED BY THE HOLDER FROM A PASSPORT AUTHORITY RECARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH	THIS PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST, THIS SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF OP A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTHLATED IN ANY WAY. LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF THIS PASSPORT SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR IT THE HOLDER IS ABROAD, TO THE REAREST INDIAN MISSION/POST AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE	ENQURIES SHALL A DUPLICATE PASSPORT BE ISSUED.
			ON / VICA
			36